UPBN240049602025

Warrant or Summons Criminal Case/3535/2025 (Delivered on 13-07-2026)

Presented on : 16-09-2025
Registered on : 16-09-2025
Decided on : 13-07-2026
Duration : 0 years, 9 months, 27 days

न्यायालयःःन्यायिक मजिस्ट्रेट,सहसवान, जनपद-बदायूँ।

परिवाद संख्या-3535/2025

फईमा बेगम बनाम मो० फुरकान आदि

संबंधित थाना-सहसवान, जनपद-बदायूँ।

13.07.2026

पत्रावली पेश हुई। परिवादी अनुपस्थित है। बार बार पुकार कराये जाने के बावजूद भी कोई उपस्थित नहीं है, न ही उसकी ओर से कोई स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। पत्रावली लंच उपरान्त पेश हो।

न्यायिक मजिस्ट्रेट,
सहसवान, जनपद-बदायूँ।

लंच उपरान्त,

पत्रावली लंच उपरान्त पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि परिवादी विगत काफी लम्बी अवधि से निरन्तर गैर हाजिर चल रही है। आज उसकी ओर से कोई प्रार्थना पत्र स्थगन भी प्रस्तुत नहीं किया गया है। परिवादी द्वारा उपरोक्त परिवाद में धारा 223 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एवं धारा 225 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत साक्ष्य प्रस्तुत किया जा चुका है, परन्तु अपने उपरोक्त साक्ष्य के समर्थन में वास्ते तलबी के विन्दु पर सुनवाई हेतु उपस्थित होकर बल नहीं दिया गया है। जबकि परिवादी को उपस्थित होने हेतु अंतिम अवसर प्रदान किया जा जा चुका है। उसके पश्चात भी परिवादी साक्ष्य हेतु उपस्थित नहीं आयी है। जबकि परिवादी को मामले की पूर्ण जानकारी है। ऐसे में न्यायालय की मत में इस स्तर पर विपक्षीगण के विरूद्व अग्रिम कार्यवाही किये जाने का प्रथम दृष्टया पर्याप्त आधार नहीं है। प्रस्तुत परिवाद धारा 226 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अन्तर्गत खारिज किये जाने योग्य है।

आदेश

हस्तगत परिवाद बलाभाव में धारा 226 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अन्तर्गत खारिज किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल अभिलेखागार हो।

(हरेन्द्र सिंह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट,
सहसवान, जनपद-बदायूँ।
J.O.Code.3676

Transcribed on :Arshad Ali.(Steno)